राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 34 / 2024

अपीलांटगण–

1. श्रीमति केसीदेवी पत्नी टीकमाराम
2. श्री रूपाराम पुत्र टीकमाराम जातियान जाट, निवासीयान भूका वगतसिंह, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 श्री तहसीलदार, सिणधरी
2 श्री कुम्भाराम पुत्र भूराराम
3 श्री बींजाराम पुत्र भूराराम जातियान जाट, निवासीयान भलखाड़ी, मोतीसरा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
4 श्री पेमाराम पुत्र भूराराम
5 श्रीमती पदमोदवी पत्नी भूराराम जातियान जाट, निवासीयान भूका वगतसिंह, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक / राजस्व / 2024 / 185 दिनांक 31.01.2024 जो तहसीलदार सिणधरी द्वारा भूमि समर्पण पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री पाबूराम बेनिवाल, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री सवाईराम सियाग, रेस्पोडेंट संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंटगण संख्या 2, 3 व 5 स्वयं बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 29.10.2024

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौजा भलखाड़ी, पटवार हल्का पायला खुर्द, तहसील सिणधरी के खसरा नंबर 121 / 12 रकबा 14.8856 हैक्टेयर में से 0.2427 व 0.3236 बीघा भूमि का

जिला कलक्टर
बालोतरा

समर्पण स्वीकृति आदेश क्रमांक/राजस्व/2024/185 दिनांक 31.01.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 20.05.2024 को पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा भलखाड़ी, पटवार हल्का पायला खुर्द, तहसील सिणधरी के खसरा नंबर 121/12 रकबा 14.8856 बीघा भूमि के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने दिनांक 31.01.2024 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार खसरा नंबर 121/12 रकबा 14.8856 हैक्टेयर में से 0.2427 व 0.3236 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान सवाराम पटवारी दाखा द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी पायला खुर्द द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम भलखाड़ी, पटवार हल्का पायला खुर्द, तहसील सिणधरी के खसरा नंबर 121/12 रकबा 14.8856 हैक्टेयर भूमि में स्थगन आदेश व न्यायालय वाद–विवाद नहीं है तथा मौके पर आने–जाने हेतु रास्ता के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2024 को पारित किया गया। अपीलांटगण ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.05.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांटगण की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की पैतृक एवं पुश्तैनी की संयुक्त खातेदारी भुमि मौजा भलखाड़ी, पटवार हल्का पायला खुर्द, तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 121/12 रकबा 14.8856 हैक्टयेर भूमि अवस्थित है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 ने अपने खेत के किनारे कटाण रास्ता को आगे पार करने हेतु पड़ोसी खसरा संख्या 10 के किनारे रास्ता लेने हेतु समस्त पक्षकरान की सयुक्त भूमि को बंटवारे का कहते हुए अपीलांटगण को विश्वास में लेकर तहसील कार्यालय

जिला कलक्टर
बालोतरा

सिणधरी लेकर आए एवं खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की संयुक्त खेत खसरा संख्या 121/12 रकबा 14.8856 हैक्टेयर में से 0.2427, 0.3236 हैक्टयेर अपीलांटगण को अंधेरे में रखते हुए बिना बताये व बिना सहमति के फर्जी समर्पणनामा तैयार कर खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवा कर समर्पण पत्र स्वीकार कर जरिये आदेश कमांक 2024/185 दिनांक 31.01.2024 को जारी किया गया एवं 0.2427, 0.3236 हैक्टेयर भूमि को जरिये नामान्तरकरण संख्या 720 दिनांक 04.03.2024 को नया खसरा संख्या 194/121 रकबा 0.2427, 0.3236 हैक्टेयर भूमि को राज्य सरकार के नाम से अंकन करते हुए रास्ते के रूप में व भविष्य में सार्वजनिक भवन निर्माण के रूप में तरमीन करवा दी। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 ने अपीलांटगण को सामलाती भूमि बंटवाडा करने का कहकर खाली कागजों पर अपीलांटगण के अंगुठा निशान अंकित कराये गये तथा धोखे से इन कागजों पर समर्पणनामा लिखकर तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इस आधार पर अपीलाधीन समर्पण आदेश विधि, न्याय एवं अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ तहसीलदार सिणधरी के समक्ष अपीलांटगण एवं सहखातेदारान द्वारा उपस्थित होकर समर्पणनामा प्रस्तुत नहीं किया गया था। ऐसे में खातेदारान को सूचना दिये बिना समर्पणनामा स्वीकार करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई कोई नोटिस नहीं दिया, जिससे अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलांटगण के सहखातेदारान द्वारा खाली कागजात पर अपीलांटगण का अंगुठा/हस्ताक्षर बंटवाडे का कहकर लिया था, जिस पर सोची–समझी योजना के तहत समर्पणनामा लिख दिया। इस प्रकार अपीलाधीन समस्त कार्यवाही धोखे से होने के फलस्वरूप कानून की नजर में शून्य होने से निरस्त योग्य है।

5. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांटगण को रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 ने सामलाती भूमि का बंटवाडा करवाने का कहकर अपीलांटगण का अंगुठा/हस्ताक्षर खाली कागजातों पर करवाया था, जिस पर धोखे से समर्पणनामा निस्पादित होने की जानकारी अपीलांटगण को हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 21.04.2024 को दी गई कि तहसीलदार ने समर्पण का आदेश कर दिया है। इस पर अपीलांट ने तहसील में जाकर समर्पण आदेश दिनांक 31.01.2024 की नकल दिनांक 29.04.2024 को मांगी तथा सर्वप्रथम समर्पण की जानकारी हुई तथा जानकारी होने से यह अपील अन्दर मयाद पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 31.01.2024 एव पश्चातवर्ती कार्यवाही आदेशों को अपास्त करने का श्रम करावें।

जिला कलक्टर
बालोतरा

6. रेस्पोडेंट संख्या 04 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे।

7. रेस्पोडेंटगण संख्या 02, 03 व 05 बावजुद सूचना अनुपस्थित

8. हमने अपीलांटगण के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया कि मौजा भलखाड़ी, पटवार हल्का पायला खुर्द, तहसील सिणधरी के खसरा नंबर 121/12 रकबा 14.8856 बीघा भूमि के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने दिनांक 31.01.2024 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार खसरा नंबर 121/12 रकबा 14.8856 हैक्टेयर में से 0.2427 व 0.3236 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान सवाराम पटवारी दाखा द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी पायला खुर्द द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम भलखाड़ी, पटवार हल्का पायला खुर्द, तहसील सिणधरी के खसरा नंबर 121/12 रकबा 14.8856 हैक्टेयर भूमि में स्थगन आदेश व न्यायालय वाद–विवाद नहीं है तथा मौके पर आने–जाने हेतु रास्ता के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2024 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी के समक्ष अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलाधीन समर्पण पत्र पर सहमति से स्वयं अंगुठा/हस्ताक्षर कर स्वीकृति आवेदन किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट्स को उक्त समर्पण भूमि की सम्पूर्ण जानकारी होना प्रतीत होता हैं। अतः अपीलांटगण का यह कहना कि अपीलाधीन समर्पणनामा के वास्तविक तथ्य उनकी जानकारी में नही थे, उचित प्रतीत नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांटगण स्वयं अन्य सहखातेदारान के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है, जिसकी पहचान एवं ताईद स्वतंत्र पहचानकर्ता सवाराम पटवारी दाखा द्वारा की गई है। इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा व्यक्तिशः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सहखातेदारी भूमि में से 0.2427 व 0.3236 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त

जिला कलक्टर
बालोतरा

समर्पित करते हुए कब्जा छोड़ना प्रकट किया है। अपीलांटगण द्वारा एक बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो कथन किया गया है उससे भिन्न कोई कथन इस न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विबंधित है, लिहाजा अपीलांटगण की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा